भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3620
मंगलवार,17 दिसंबर, 2024/26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पीएमकेएसके के रुप में पीएसीएस

† 3620. श्री अनिल बलूनीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इसके परिणामस्वरूप पीएसीएस के किस प्रकार सुदृढ़ होने की संभावना है; और
(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर। सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उर्वरकों, कीटनाशकों और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में कार्य करने वाली पैक्स किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक, मिट्टी/ बीज परीक्षण सुविधाएं, आदि जैसे गुणवत्तापूर्ण कृषि-इनपुट प्रदान करती हैं । प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs) के माध्यम से, किसानों को फसल से संबंधित मुद्दों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। पंचायत/ग्राम स्तर पर ही किसानों को विभिन्न गुणवत्तापूर्ण कृषि- इनपुट प्रदान करके, वे कृषि उत्पादकता में सुधार करने में भी मदद करते हैं । 36,180 पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में कार्य करने से, पैक्स ऋण वितरण के अतिरिक्त अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता ला सकते हैं, जिससे उनके राजस्व स्रोत बढ़ते हैं, उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ती है, तथा उन्हें बहुआयामी जीवंत आर्थिक इकाई बनने में मदद मिलती है । यह पहल पैक्स को पंचायत/ग्राम स्तर पर ही कृषि से संबंधित इनपुट और सेवाएं किसानों को सुगमता से पहुंचाने में सक्षम बनाती है, जिससे किसानों को इन सेवाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

*****